निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : **110/2025** (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. निशा पुत्री बजरंग लाल,
2. प्रिया पुत्री बजरंग लाल,
3. अन्तिमा पुत्री बजरंग लाल,
4. कार्तिक पुत्र बजरंग लाल,

समस्त नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गणेश देवी पत्नी श्री बजरंग लाल जाति जाट निवासी माधोराजपुरा, तहसील माधोराजपुरा, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर।
2. बजरंग लाल पुत्र श्री सीताराम जाति जाट, निवासी माधोराजपुरा, तहसील माधोराजपुरा, जयपुर।
3. विनोद कुमावत पुत्र श्री गोपाल लाल कुमावत, हाल निवासी मकान नं. 54, हरिकृष्णा रेजीडेन्सी, मुहाना मण्डी रोड, केसर चौराहा, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 159/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2024 ब उनवानी निशा व अन्य बनाम बजरंग लाल को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

1. श्री जुगल किशोर शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 10.07.2025**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 159/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2024 ब उनवानी निशा व अन्य बनाम बजरंग लाल विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड़ उपस्थित।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत अस्थाई घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ब उनवानी निशा व अन्य बनाम बजरंग लाल व अन्य पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 जो कि एक अजनबी व्यक्ति है, जिसके द्वारा तथाकथित इकरारनामा के आधार पर भूमि बाबूलाल यादव से क्रय करना अंकित कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं समझ कर उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 3 जो कि राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है, जो कि अपने राजनैतिक प्रभाव के चलते अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव व प्रलोभन में लेकर तथा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करवा लिया, जबकि उक्त आराजी से अप्रार्थी संख्या 3 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 के दबाव में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी बिना न्यायिक विवेक इस्तेमाल किएही उक्त प्रकरण को शीघ्र

जिला कलक्टर
जयपुर

निस्तारण करने पर आमादा है तथा छोटी–छोटी तारीख पेशी दी जा रही है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कारित करने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई बल नहीं पाते है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **10.07.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर